रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935
No. 399] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2014

का.आ. 476(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 660(अ), तारीख 27 सितम्बर, 1996 और का.आ. 239 (अ), तारीख 24 मार्च, 1998 द्वारा हरियाणा और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 36.630 कि.मी. से 162.500 कि.मी. तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा राज्य में 11.000 कि.मी. से 36.630 कि.मी. तक के खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौपे थेः

और यतः, प्राधिकरण ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 14.300 कि.मी. से 24.000 कि.मी. और हरियाणा राज्य में 24.000 कि.मी. से 42.000 कि.मी. (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का विकास और अनुरक्षण करने के लिए मैसर्स जेपी डीएससी वेंचर्स लिमिटेड (अब दिल्ली गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी लिमिटेड अर्थात् डीजीएससीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय डुंडाहेड़ा, गुड़गांव–दिल्ली सीमा, 24 कि.मी. माइलस्टोन, राष्ट्रीय राजमार्ग–8, गुड़गांव–122016 और ई–9, तीसरी मंजिल, साउथ एक्सटेंषन–II, नई दिल्ली–110049 में भी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 18 अप्रैल, 2002 को एक रियायत करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "करार'' संदर्भित किया गया है) किया था।

और यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण), नियम, 1997 की धारा 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 994 (अ), तारीख 18 जून, 2007 द्वारा यांत्रिक वाहनों द्वारा उक्त खंड का उपयोग करने के लिए इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और टोल प्लाजाओं पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने हेतु रियायतग्राही को प्राधिकृत किया था।

और यतः, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओएमपी नं. 288/2013 (डीजीएससीएल द्वारा दायर की गई) तथा निष्पादन याचिका नं. 88/2013 (वरिष्ठ लैंडर्स की ओर से दायर की गई) में 19 फरवरी, 2014 के आदेष द्वारा यह टिप्पणी की है कि प्राधिकरण, रियायतग्राही तथा वरिष्ठ लैंडर्स ने यह सहमति व्यक्त की है कि स्लेक्टी के रूप में वरिष्ठ लैंडर्स (आईडीएफसी तथा अन्य) द्वारा एसपीवी का गठन करके उसे उक्त करार में डीजीएससीएल के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए और डीजीएससीएल के दायित्वों और देयताओं को आइडीएफसी द्वारा ग्रहण कर लिया जाए तथा नए स्लेक्टी की नियुक्ति हो जाने पर

उक्त दायित्वों एवं देयताओं को उक्त नए स्लेक्टी द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच आगे यह सहमति हुई कि संषोधित टोल अधिसूचना के प्रभावी हो जाने पर 24.000 कि.मी. पर स्थित टोल प्लाजा पर कोई टोल अथवा प्रयोक्ताषुल्क संग्रहीत नहीं किया जाएगा तथा उक्त टोल प्लाजा को ढहा दिया जाएगा और तदनुसार, 42.000 कि.मी. टोल प्लाजा पर प्रयोक्ताषुल्क को अब 24.000 कि.मी. टोल प्लाजा पर प्रयोक्ताषुल्क तथा 42.000 कि.मी. टोल प्लाजा पर पहले के शुल्क का योग होगा।

अतः अब, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ओएमपी सं. 288/2013 तथा निष्पादन याचिका सं. 88/2013 में तारीख 19 फरवरी, 2014 के आदेष द्वारा जारी निर्देषों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और टोल प्लाजाओं पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और रिसीवर/स्लेक्टी/नए रियायतग्राही को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से और करार में निर्दिष्ट किए गए अनुसार समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है,

अनुसूची

शुल्क का संग्रहण दो टोल प्लाजाओं पर किया जाएगा, एक टोल प्लाजा रारा–8 (हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में खेड़की दौला गांव) के 42.000 कि.मी. पर परियोजना के समापन पर (24.000 कि.मी. टोल प्लाजा पर प्रयोक्ताषुल्क तथा 42.000 कि.मी. टोल प्लाजा पर पहले के शुल्क का योग) तथा दूसरा रारा–8 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चौराहे पर) 19.100 कि.मी. पर साइज प्लाजा के रूप में होगा।

क्रम संख्या	वाहनों की श्रेणी	01.04.2005 के अुनसार प्रति वाहन प्रति चक्कर शुल्क की दर (रुपए में) (जिसे आधार शुल्क के रूप में लिया जाना है)			प्रति वाहन प्रति चक्कर शुल्क की दर (रुपए में) (जो 01.04.2011 से प्रभावी है किन्तु मामला विचाराधीन होने के कारण जिसमें 01.04.2012 और 01.04.2013 को संषोधन नहीं किया जा सका)			प्रति वाहन प्रति चक्कर शुल्क की दर (रुपए में) (प्रकाषन की तारीख से 31.03.2014 तक प्रभावी)	
		इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाने वाले वाहनों के लिए	रारा–8 के 24.000 कि. मी. पर टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों के लिए	रारा–8 के 42.000 कि. मी. पर टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों के लिए	इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाने वाले वाहनों के लिए	रारा–8 के 24.000 कि. मी. पर टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों के लिए	रारा–8 के 42.000 कि. मी. पर टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों के लिए	इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाने वाले वाहनों के लिए	रारा–8 के 42.000 कि. मी. पर टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	कार	10	15	19	14	21	27	17	56
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	15	22	28	21	31	40	25	83
3.	मिनी बस	15	22	28	21	31	40	25	83
4.	बस, 2 धुरी	30	45	57	43	64	82	50	169
5.	ट्रक, 2 धुरी	30	45	57	43	64	82	50	169
6.	बहुधुरीय वाहन	30	45	57	43	64	82	50	169

1. कालम (3), (4) और (5) पर पूर्वोक्त शुल्क को प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से प्रभावी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संषोधित किया जाएगा। यह वृद्धि शुल्क संषोधन सूचकांक पर आधारित होगी जिसका परिकलन दो दषमलव स्थान तक किया जाएगा जिसका 1 अप्रैल, 2005 को मूल्य 1.00 होगा और यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होगी। संषोधित/वास्तविक शुल्क का परिकलन निम्न प्रकार से होगाः

$$\text{संषोधित/वास्तविक शुल्क} = \text{आधार शुल्क} \times \frac{\text{डब्लूपीआइ–बी}}{\text{डब्लूपीआइ–ए}}$$

जहां

डब्लूपीआइ–ए = 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है, अर्थात् 191

डब्लूपीआइ–बी = षुल्क में संषोधन की तारीख से पूर्ववर्ती 31 दिसम्बर के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक है।

प्रभारित किए जाने वाले शुल्क को निकटतम एक रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

2. निम्नलिखित वाहनों को प्रयोक्ता शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगीः—

एम्बुलेंस, अग्निषमन वाहन और भारत का राष्ट्रपति, भारत का उप—राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मंत्रियों को ले जा रहे और उनके साथ चल रहे वाहन, अपने—अपने क्षेत्राधिकार में राज्यपाल, उप—राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अपने—अपने क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय एवं राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, भारत का उच्चतम न्यायालय और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीष, राज्य सरकार के सचिवगण एवं आयुक्त, भारत के राजकीय दौरे पर आए विदेषी गणमान्य व्यक्ति, भारत में स्थित विदेषी मिषनों के प्रमुख जो सीडी प्रतीक (सिम्बल) वाली कारों का इस्तेमाल कर रहे हों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारीगण, वे व्यक्ति जिनसे कार्यस्थल के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु परियोजना का उपयोग करना अपेक्षित हो, स्वतंत्र परामर्षदाता और सषस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस सहित केन्द्र और राज्यों के वर्दीधारी बल''।

3. शुल्क की दर, शुल्क के भुगतान से मुक्त वाहनों की श्रेणियों और जिस रिसीवर/स्लेक्टी/नए रियायतग्राही को षिकायतें, यदि कोई हों, भेजी जानी चाहिए उसका नाम, पता और टेलीफोन नम्बर टोलबूथ से 500 मीटर पहले, टोलबूथ से 100 मीटर पहले और टोलबूथ पर भी स्पष्ट तथा प्रमुख रूप से प्रदर्षित किया जाएगा। प्रदर्षन बोर्ड की ऊंचाई तथा अक्षरों का साइज ऐसा होगा कि ड्राइवर लोग प्रदर्षन बोर्ड को आसानी से पढ़ सकें।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल पर संग्रहीत किए जाने हेतु प्राधिकृत शुल्क संबंधी सारणी को संबंधित व्यक्ति द्वारा शुल्क संग्रहण बूथ के पास खुले स्थान पर लगाया जाएगा और इसे अंग्रेजी, हिन्दी और उस क्षेत्र विषेष की क्षेत्रीय भाषा में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हो, साफ—साफ लिखा या छापा जाएगा।

5. रिसीवर/स्लेक्टी/नया रियायतग्राही शुल्क संग्रहण प्रभारी के रूप में एक अधिकारी का नामांकन करेगा और इस प्रकार नामांकित अधिकारी यह सुनिष्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि शुल्क सहमत दर से अधिक दर पर संग्रहीत नहीं किया जाए और शुल्क संग्रहण सुचारू रूप से किया जाए ताकि सड़क प्रयोक्ताओं के लिए शुल्क और उससे संबंधित सभी मामलों में कोई अनुचित कठिनाई पैदा न हो।

6. रिसीवर/स्लेक्टी/नया रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात से वाहन की विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए, लागू शुल्क के 50% से अधिक तथा स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से वाहन की विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 66% से अधिक शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा। यह संग्रहण दो टोल प्लाजाओं पर निम्नानुसार किया जाएगाः—

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	कटौतीकृत दरों का निर्धारण करने के लिए 1 अप्रैल, 2005 को प्रति वाहन प्रति चक्कर के लिए शुल्क की दर (रुपए में)		स्थानीय निजी वाणिज्यिक यातायात के लिए 30 दिन के लिए वैध 40 चक्करों के लिए शुल्क की दर (रुपए में) (प्रकाषन की तारीख से 31.03.2014 तक प्रभावी)*	
		इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जा रहे वाहनों के लिए	रारा—8 के 42.000 कि.मी. पर टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों के लिए	इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जा रहे वाहनों के लिए	रारा—8 के 42.000 कि.मी. पर टोल प्लाजा को पार करनेवाले वाहनों के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कार (निजी)	10	19	16.55×40×50% =331	31.45×40×50% =629
	कार (वाणिज्यिक)	10	19	16.55×40×66% =437	31.45×40×66% =830
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	15	28	24.83×40×66% =656	46.35×40×66% =1224
3.	मिनी बस	15	28	24.83×40×66% =656	46.35×40×66% =1224
4.	बस, 2 धुरी	30	57	49.66×40×66% =1311	94.35×40×66% =2491
5.	ट्रक, 2 धुरी	30	57	49.66×40×66% =1311	94.35×40×66% =2491
6.	बहुधुरीय वाहन	30	57	49.66×40×66% =1311	94.35×40×66% =2491

* हालांकि, रियायत करार के अनुसार, टोल प्लाजा पर उद्ग्रहीत वास्तविक दरों के संदर्भ में कटौती की गणना की जानी होती है, तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 19 फरवरी, 2014 के आदेष के प्रदर्ष घ कि साथ पठित प्रदर्ष क के पैरा (घ) को देखते हुए, 42.000 कि.मी. पर स्थानीय यातायात से विद्यमान दर संरचना के अनुसार ही शुल्क प्रभारित किया जाएगा। तदनुसार, कटौती की गणना 42.000 कि.मी. पर ही उद्ग्रहीत दरों पर की गई है और 24.000 कि.मी. के प्रभाव को, जिसे 42.000 कि.मी. पर अंतरित कर दिया गया है, 42.000 कि.मी. पर कटौतीकृत दर की गणना करने हेतु हिसाब में नहीं लिया गया है।

उपर्युक्त दरों में संषोधन ऊपर पैरा—1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

परन्तु शर्त यह है कि यदि स्थानीय यातायात के निषुल्क उपयोग के लिए यदि अलग से कोई सर्विस लेन खोली जाती है तो रिसीवर/स्लेक्टी/नया रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करेगा जो आठ/छह लेन के पहुंच नियंत्रित राजमार्ग का उपयोग करेगा।

7. रिसीवर/स्लेक्टी/नया रियायतग्राही इस अधिसूचना की विषय–वस्तु को दो स्थानीय समाचार–पत्रों (जिनमें से एक स्थानीय भाषा का होगा) में प्रकाषित कराएगा।

8. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः–

(i) ''स्थानीय वाणिज्यिक यातायात'' से अभिप्राय है कोई वाणिज्यिक वाहन जिसमें बसें, ट्रक, हल्के मोटर वाहन अथवा टेक्सियां शामिल हैं, जो एक से अधिक टोल प्लाजा को पार किए बिना राजमार्ग परियोजना पर रूटीन के तौर पर चल रहे हैं और माल–सामान तथा यात्रियों को लाने–लेजाने वाले वाहन के तौर पर किसी एक टोल प्लाजा पर रिसीवर/स्लेक्टी/नए रियायतग्राही के पास पंजीकृत हैं।

(ii) ''स्थानीय निजी यातायात'' से अभिप्राय और इसमें शामिल है ऐसा निजी वाहन जो एक से अधिक टोल प्लाजाओं को पार किए बिना राजमार्ग परियोजना पर रूटीन के तौर पर चल रहा हो और किसी एक टोल प्लाजा पर रियायतग्राही के पास पंजीकृत हो।

(iii) ''समापन तिथि'' का अभिप्राय उस तिथि से है जिस तिथि को प्राधिकरण और रिसीवर/स्लेक्टी/नए रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के प्रावधानों के द्वारा समाप्त हो जाता है अथवा समापन नोटिस द्वारा समाप्त कर दिया जाता है।

(iv) इस अधिसूचना में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है और जिन्हें अधिसूचना में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 14.300 कि.मी. से 42.000 कि.मी. तक के खण्ड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच 18.04.2002 को किए गए करार में परिभाषित किया गया है, उनका अर्थ वहीं होगा जो उन्हें क्रमषः उक्त करार में दिया गया है।

[फा. सं. भाराराप्रा/तक./दिल्ली–गुड़गांव/रारा–8/2013–14]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2014

S.O. 476(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport, number S.O.660(E), dated the 27th September, 1996 and S.O.239(E) dated 24th March,1998, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act,1988 (68 of 1988), the Central Government had entrusted the stretches from km. 36.630 to km 162.500 in the States of Haryana and Rajasthan and from km. 11.000 to km. 36.630 in the National Capital Territory of Delhi and the State of Haryana, of the National Highway No. 8 to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

And whereas, the Authority had entered into a concession agreement on 18th April, 2002 (hereinafter referred to as "agreement") with M/s. JAYPEE DSC VENTURES LIMITED (now Delhi Gurgaon Super Connectivity Limited i.e. DGSCL) having its registered office at Dundahera, Gurgaon-Delhi Border, Km. 24 Milestone, NH-8, Gurgaon – 122016 Also at E-9, 3rd Floor, South Extension-II, New Delhi–110049 (hereinafter referred to as "the Concessionaire") for the development and maintenance of National Highway No. 8 from km 14.300 to km 24.000 in the National Capital Territory of Delhi and from km. 24.000 to km. 42.000 in the State of Haryana (hereinafter referred to as the "said section").

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highway/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 994 (E) dated 18th June, 2007 authorized the Concessionaire for levying and collecting fees on the mechanical vehicles for the use of the said section at the rates and at the toll plazas specified in its schedule.

And whereas, Hon'ble High Court of Delhi *vide* Order dated 19th February, 2014 in OMP No. 288/2013 (filed by DGSCL) and Execution Petition No. 88/2013 (filed by IDFC on behalf of the Senior Lenders) observed that the Authority, the Concessionaire and the Senior Lenders have agreed that DGSCL be substituted in the said Concession Agreement by SPV formed by the Senior Lenders (IDFC & Others) as a Selectee. And the liabilities and obligations of DGSCL are taken over and assumed by IDFC and upon appointment of a new Selectee, the said obligations and liabilities shall be assumed and taken over by the said new Selectee. It is further agreed between the parties that as the revised toll notification becomes effective, no toll or user fee shall be collected from km. 24.000 toll plaza and the said toll plaza shall be

dismantled and accordingly, the user fee at km. 42.000 toll plaza now shall be the sum of user fee at km. 24.000 toll plaza and that at km. 42.000 toll plaza previously.

Now, therefore, in view of the directions issued by the Hon'ble High Court of Delhi *vide* Order dated 19th February, 2014 in OMP No. 288/2013 and Execution Petition No. 88/2013, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fee on the mechanical vehicles for the use of the said section at the rates and toll plazas specified in the schedule below and authorizes the Receiver/Selectee/New Concessionaire to collect and retain the fees from the date of publication of this notification in the Official Gazette and until the termination date as specified in the agreement.

SCHEDULE

The Fee shall be collected at two toll plazas, one at the end of the project at km 42.000 (sum of the user fee at km. 24.000 toll plaza and that at km. 42.000 toll plaza previously) of NH-8 (Kherki Daula village, District Gurgaon in the state of Haryana) and second as side plaza at km. 19.100 of NH-8 (at the intersection with Indira Gandhi International Airport road in the state of NCT of Delhi).

Sl. No.	Category of Vehicles	Rate of fee per vehicle per trip (in Rupees) as on 01.04.2005 (To be taken as Base Fee)			Rate of fee per vehicle per trip (in Rupees) (effective from 01.04.2011 which could not be revised on 01.04.2012 and 01.04.2013 on account of matter being sub-judice)			Rate of fee per vehicle per trip (in Rupees) (effective from date of publication to 31.03.2014)	
		For vehicles going to Indira Gandhi International Airport	For vehicles crossing the Toll Plaza at km. 24.000 of NH-8	For vehicles crossing the Toll Plaza at km. 42.000 of NH-8	For vehicles going to Indira Gandhi International Airport	For vehicles crossing the Toll Plaza at km. 24.000 of NH-8	For vehicles crossing the Toll Plaza at km. 42.000 of NH-8	For vehicles going to Indira Gandhi International Airport	For vehicles crossing the Toll Plaza at km. 42.000 of NH-8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Car	10	15	19	14	21	27	17	56
2.	Light Commercial vehicle	15	22	28	21	31	40	25	83
3.	Mini Bus	15	22	28	21	31	40	25	83
4.	Bus, 2 axle	30	45	57	43	64	82	50	169
5.	Truck, 2 axle	30	45	57	43	64	82	50	169
6.	Multi axle vehicle	30	45	57	43	64	82	50	169

1. The aforesaid fee at columns (3), (4) and (5) shall be revised at the beginning of each financial year with effect from 1st April every year. The increase will be based on a fee revision Index Computed to two decimal places which has a value of 1.00 as on April 1, 2005 and is increased based on wholesale price index as on 1st April every year. The revised/actual fee shall be computed as follows :

$$\text{Revised/Actual Fee} = \text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}}$$

Where

WPI-A = is the Wholesale Price Index as on 1st April, 2005 i.e. 191

WPI-B = is the Wholesale Price Index as on 31st December preceding the fee revision date.

The actual Fees to be charged shall be rounded off to the nearest one rupee.

2. The following vehicles shall be exempted from payment of user fee :—

"Ambulances, fire tenders and official vehicles transporting and accompanying the President of India, the Vice President of India, the Prime Minister of India, Ministers of Government of India, Governors, Lt Governor, Chief Ministers, Presiding Officers of Central and State Legislatures having jurisdictions, Ministers of State Government, Judges of the Supreme Court of India and of the High Court having jurisdiction, Secretaries and

IndiaCode

Commissioner of State Government, Foreign Dignitaries on State visit to India, Heads of Foreign Missions stationed in India using cars with CD symbol, Executive Magistrates, officers of Ministry of Road Transport & Highways and National Highways Authority of India, person required to use the project for discharging their statutory obligations in relation to the site, Independent Consultant and the Central and State Forces in uniform including armed forces, para military forces and police".

3. The rates of Fees, the Categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the Receiver/Selectee/New Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 metres ahead of the toll booth, 100 metres ahead of the toll booth and at the toll booth also. The height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

4. A table of fees authorized to be collected on any section of National Highway/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway shall be put up by such person in a conspicuous place near a fee collection booth legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the National Highway is situated.

5. The Receiver/Selectee/New Concessionaire shall nominate an official as in-charge of fee collection and official so nominated shall be responsible to ensure that fees is collected at not more than agreed rates and the Fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users, and for all other matters connected therewith.

6. The Receiver/Selectee/New Concessionaire shall not collect any fees from local personal traffic in excess of 50% of the applicable fees for the specific category of vehicle and from local commercial traffic in excess of 66% of the applicable fee for the specific category of vehicle at the two toll plazas as under provided the local traffic take a pass for 40 trips valid for 30 days.

IndiaCode

S. No.	Category of Vehicle	Rate of fee as on 1st April, 2005 per vehicle per trip (in Rupees) for determining discounted rates		Rate of pass for 40 trips (in Rupees) valid for 30 days for local personal/local commercial traffic (effective from date of publication to 31.03.2014)*	
		For vehicles going to Indira Gandhi International Airport	For vehicles crossing the Toll Plaza at km. 42.000 of NH-8	For vehicles going to Indira Gandhi International Airport	For vehicles crossing the Toll Plaza at km. 42.000 of NH-8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Car (Personal)	10	19	16.55×40×50% = 331	31.45×40×50% = 629
	Car (Commercial)	10	19	16.55×40×66% = 437	31.45×40×66% = 830
2.	Light Commercial vehicle	15	28	24.83×40×66% = 656	46.35×40×66% =1224
3.	Mini Bus	15	28	24.83×40×66% = 656	46.35×40×66% = 1224
4.	Bus, 2 axle	30	57	49.66×40×66% = 1311	94.35×40×66% = 2491
5.	Truck, 2 axle	30	57	49.66×40×66% = 1311	94.35×40×66% = 2491
6.	Multi axle vehicle	30	57	49.66×40×66% = 1311	94.35×40×66% = 2491

*Though as per Concession Agreement, the discount has to be calculated w.r.t. actual rates levied at the Toll Plaza, however, in the light of para (d) of Exhibit A read with Exhibit D of the Hon'ble High Court of Delhi Order dated 19th February, 2014, local traffic at km. 42.000 will be charged as per existing rate structure. Accordingly, the discount has been calculated by taking the rates leviable at km. 42.000 only and impact of km. 24.000, which has been transferred to km. 42.000, has not been taken into account for calculating the discounted rate at km. 42.000.

The above rates shall be revised as per provisions given in para-1 above.

Provided that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Receiver/Selectee/New Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic, if they use the eight/six lane access controlled Highway.

7. The Receiver/Selectee/New Concessionaire shall get published the contents of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language).

8. For the purpose of this notification, unless the context otherwise requires :—

(i) "Local commercial traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Receiver/Selectee/New Concessionaire at one of the toll plazas as plying routinely on the project highway without crossing more than one of the toll plazas.

(ii) "Local personal traffic" means and includes a personal vehicle which is registered with the Concessionaire at one of the toll plazas as plying routinely on the project highway without crossing more than one of the toll plazas.

(iii) "Termination Date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Receiver/Selectee/New Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by a termination notice.

(iv) The words and expression used in this notification and not defined but defined in the agreement dated 18.04.2002 entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of section from Km. 14.300 to Km. 42.000 of the National Highway No. 8 shall have the same meanings as assigned to them respectively in the said agreement.

[F. No. NHAI/Tech/Del-Gur/NH-8/2013-14]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.